

प्रेस नोट दिनांक 26-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

थाना खेसरहा पुलिस बल द्वारा दुष्कर्म के आरोपित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व देवी गुलाम क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 26.03.2023 को भानु प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष थाना खेसरहा के नेतृत्व में खेसरहा पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 67/2023 धारा 376,506 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सिद्धार्थनगर भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01- कृष्ण मोहन पुत्र राधेश्याम उर्फ पप्पू साकिन रमवापुर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. भानु प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. उ0नि0 अमित कुमार चौकी प्रभारी कुर्थिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. का0 आशुतोष सिंह थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
4. का0 सौरभ सिंह यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
5. का0 मनोज यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
6. का0 अनिकेत सिंह थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट- दिनांक 26-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी के आरोपी को 01 वर्ष के साधारण कारावास व ₹1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करारकर सजा दिलाने के सम्बन्ध में अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में दिनांक 22-03-2023 को फौजदारी वाद सं0 2856/2022 मु0अ0सं0 52/2022 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र ईनल निवासी उज्जैनिया थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी करारकर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त इन्द्रजीत उपरोक्त को माननीय न्यायाधीश सौरभ ओझा जे0एम0 बांसी सिद्धार्थनगर द्वारा 01 वर्ष के साधारण कारावास व ₹1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सजा कराये जाने में श्रीकृष्ण चन्द्र वर्मा, सहायक अभियोजन अधिकारी तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी तलीमुद्दीन खां, थाना त्रिलोकपुर का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट- दिनांक 26-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी के दो मुकदमों में अभियुक्तगण को 01 वर्ष 07 माह के साधारण कारावास व ₹500-500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के सम्बन्ध में अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में अभियुक्तगण 1- झिन्नू उर्फ छोटू पुत्र राधे निवासी तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर, 2-अटल बिहारी उर्फ मुन्ना भर पुत्र रामसूरत निवासी रमवापुर थाना महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायाधीश सौरभ ओझा जे0एम0 बांसी सिद्धार्थनगर द्वारा जेल लोक अदालत में दिनांक 20-03-2023 को फौजदारी वाद सं0 5272/2021 मु0अ0सं0 225/2020 धारा 379 भा0द0वि0 थाना त्रिलोकपुर में 01 वर्ष 07 माह के साधारण कारावास तथा ₹500/- के अर्थदण्ड एवं फौजदारी वाद सं0 5273/2021 मु.अ.सं. 56/2021 धारा 379 भा0द0वि0 थाना त्रिलोकपुर में 01 वर्ष 07 माह के साधारण कारावास तथा ₹500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सजा कराये जाने में श्रीकृष्ण चन्द्र वर्मा, सहायक अभियोजन अधिकारी तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी तलीमुद्दीन खां, थाना त्रिलोकपुर का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट:दिनांक 26.03.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 26.03.2023 को अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात जयराम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार द्वारा पेट्रोल पंप तिराहा, साड़ी तिराहा आदि स्थानों पर अवैध रूप से खडे वाहनों को हटवाया गया एवं रिफ्लेक्टर चरुपा किया गया तथा यातायात नियम का पालन न करने वाले 47 वाहनों से 44500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, एवं प्रभारी यातायात द्वारा शहर के महत्वपूर्ण चौराहा / तिराहा पर यातायात संकेत चिन्ह का साइन बोर्ड लगवाया गया जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।